कार्यालय ज्ञाप

वित्त (सामान्य)अनुभाग–3,उ0प्र0शसन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 14/2024 /सा0–3–243/ दस/301(1)/2024 दिनांक 28 जून,2024, शासनादेश सं0 20/2024/ सा0–3–276 /दस/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई ,2024 एवं शासनादेश सं0 24/2024/सा0–3–303 /दस/301(1)/2024 दिनांक 22 अगस्त ,2024 में निहित निर्देशानुक्रम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित विश्वविद्यालय के ऐसे कार्मिक जिनका चयन ऐसे पद /रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था और दिनांक 01–04–2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अन्तर्गत कवर किया गया है और जो शासनादेश दिनांक 28–06–2024 के निर्गत होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके है, ऐसे कार्यरत /सेवानिवृत्त कार्मिकों से विकल्प द्वारा उचित माध्यम दिनांक 31–10–2024 तक मॉगा गया था। तत्क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनो की वीक्षोपरान्त शासन की अनुमति के क्रम में शासनादेश से आच्छादित कर्मिको को राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेन्शन योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासानादेश संख्या– 20/2025/सा–3–477/ दस–2025/301(1)/2024 दिनांक– 30.07.2024 के माध्यम सें राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेन्शन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करने तथा समस्थ अनुवर्ती कार्यवाहीयों के लिये शासनादेश सं0 14/2024 /सा0–3–243/ दस/301(1)/2024 दिनांक 28 जून,2024 द्वारा निर्धारित तिथियों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :–

क्रमांक	कार्यवाही	शासनादेश दिनांक 28.06. 2024द्वारा पूर्व में निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1	2	3	4
1.	कर्मचारियों द्वारा एन0पी0एस0 के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करना	31.10.2024	30.09.2025
2.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करना	31.03.2025	30.11.2025
3.	एन0पी0एस0 खाता बन्द करना	30.06.2025	28.02.2026

अतः शासनादेश से आच्छादित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेन्शन योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णीत शासनादेशो में निहित निर्देशानुक्रम में अपना विकल्प द्वारा उचित माध्यम दिनांक 30.09.2025 तक अनिवार्य रूप से प्रशासनिक अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। कार्मिकं द्वारा प्रस्तुत किया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।

निर्धारित समयसीमा अर्न्तगत प्राप्त विकल्प की वीक्षोपरान्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय के प्रशासकीय विभाग कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा तथा अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय स्तर से आवश्यक आदेश निर्गत किये जायेगें।

उक्त कार्यालय ज्ञाप सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(सुशान्त श्रीवास्तव)
निदेशक,
प्रशासन एवं परिवीक्षण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/लेखा/पुरानी पेन्शन योजना विकल्प/2025/910 दिनांक 04-08-,2025

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ विभागों/केन्द्रों पर अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. सेल।
3. अध्यक्ष, कोआर्डिनेशन सेल।
4. वित्त नियंत्रक।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष।
6. अधिशाषी अभियन्ता(सिविल), निर्माण निदेशालय।
7. प्रभारी अधिकारी, चिकित्सालय/वाहन/सम्पत्ति/सुरक्षा अनुभाग।
8. उपभण्डार कय अधिकारी, केन्द्रीय कय भण्डार।
9. विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग को इस आशय से कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करायें।
10. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

04.8.2025

(भूपेन्द्र सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

संख्या-20/2025/सा-3-477/दस-2025/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2025

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिनका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा निर्धारित कट ऑफ तिथियों का विस्तरण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के ऐसे सभी कार्मिकों जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिनका विज्ञापन दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28.06.2024 निर्गत किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए अन्यथा पात्र हैं और जो शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के निर्गत होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 का लाभ दिये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के संबंध में कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण संख्या-24/2024/सा-3-303/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 22.08.2024 निर्गत किया गया है।

2- शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 तथा विकल्प के आधार पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने संबंधी आदेश निर्गत करने की तिथि 31.03.2025 एवं एन0पी0एस0 खाता बन्द करने की तिथि 30.06.2025 निर्धारित की गयी थी। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय विभागों के कार्मिकों के द्वारा या तो विलम्ब से विकल्प प्रस्तुत किये गये या कार्मिकों द्वारा ससमय विकल्प प्रस्तुत करने के उपरान्त भी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथि तक आदेश निर्गत नहीं किये जा सके।

3- अतः, विकल्प प्रस्तुत करने एवं विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने संबंधी आदेश निर्गत करने हेतु उक्त तिथियां व्यतीत हो जाने के उपरान्त उपरोक्त कट-ऑफ तिथि बढ़ाये जाने हेतु विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है।

4- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करने तथा समस्त अनुवर्ती कार्यवाहियों के लिए उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा निर्धारित तिथियों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	कार्यवाही	शासनादेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा पूर्व में निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1	2	3	4
1.	कर्मचारियों द्वारा एन0पी0एस0 के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प प्रस्तुत करना	31.10.2024	30.09.2025
2.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करना	31.03.2025	30.11.2025
3.	एन0पी0एस0 खाता बन्द करना	30.06.2025	28.02.2026

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समय-सीमा का यह विस्तरण अंतिम होगा तथा इसके उपरान्त किसी भी दशा में अग्रतर विस्तरण नहीं किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधित तिथियों तक अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित रहेगा।

5- शासनादेश दिनांक 28.06.2024 एवं शासनादेश दिनांक 11.07.2024 तथा कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण दिनांक 22.08.2024 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-सा-3-477(1)/दस-2025/301(1)/2024 एवं दिनांक तद्दैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।

(3). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली।

(4). श्री नितिन जोशी, वाईस प्रेसीडेन्ट एवं नेशनल हेड, पेंशन रिलेशन्स (एन0पी0एस0), प्रोटियन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलोजीज, लिमिटेड, मुम्बई।

(5). ट्रस्टी बैंक (ऐक्सिस बैंक लि0, कार्पोरेट ऑफिस), मुम्बई।

(6). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(8). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-24/2024/सा-3-303/दस-2024/301(1)/2024
लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2024

कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण

विषय- ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में।

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 में यह प्रावधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को जिन्हें उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस) की अधिसूचना की तिथि अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस) के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

2- ऐसे कर्मचारियों, जो उपरोक्त शासनादेश के जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन पर शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के प्रावधान लागू होने से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-. 57/03/2022-पी & पीडब्ल्यू (बी)/8361(1) दिनांक 20.10.2023 सपठित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-. 57/05/2021-पी & पीडब्ल्यू (बी)/8860 दिनांक 09.04.2024 में की गयी व्यवस्था के अनुसरण में स्थिति निम्नवत स्पष्ट की जाती है :-

(1) ऐसे कर्मचारी, जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए अन्यथा पात्र हैं और जो शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के निर्गत होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को दिनांक 28.06.2024 के उपरोक्त शासनादेश का लाभ दिये जाने पर रोक नहीं है। चूंकि, ऐसे मामले में कर्मचारी पहले ही एन.पी.एस के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त कर चुका है और यदि वह "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र पाया जाता है, तो उसे एन.पी.एस के अंतर्गत प्राप्त किये जा चुके सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिफल को सरकारी कर्मचारी द्वारा ब्याज सहित राजकोष में जमा किया जाना होगा।

(2) वापस की जाने वाली धनराशि पर ब्याज की गणना, नियोक्ता अंशदान एवं उस पर प्रतिफल की धनराशि की प्राप्ति की तिथि से सरकार को धन वापस करने अर्थात राजकोष में धनराशि जमा किये जाने की तिथि तक के लिए, सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ) पर यथा लागू दर पर और रीति से की जाएगी।

(3) कर्मचारियों की अधिवर्षता/सेवानिवृत्ति की तिथि के अगले दिन से पेंशन स्वीकृत की जाती है, अर्थात यदि कर्मचारी 31.01.2023 से अधिवर्षता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ हो, तो पेंशन अगली तिथि अर्थात 01.02.2023 से प्रारम्भ हो जाएगी।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत कवर करने के लिए, उनका जी.पी.एफ खाता खोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(5) यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा एन.पी.एस. खाते में संचित धनराशि नहीं निकाली गई है, तो एन.पी.एस खाता बंद कर दिया जाएगा और निकासी के समय निधि में प्रतिलाभ के साथ सरकारी अंशदान सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और ऐसी रकम पर किसी प्रकार का ब्याज अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-सा-3-303(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2). समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(3). समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का **संलग्नक-**

विकल्प पत्र

1. नाम
2. वर्तमान पदनाम
3. वेतनमान
4. वर्तमान विभाग का नाम
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम
6. विज्ञप्ति की तिथि
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि
8. योगदान की तिथि
9. जन्म तिथि
10. सेवानिवृत्ति की तिथि

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना ( )/नवीन पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम...............................

घोषणा पत्र

मैं...पदनाम..यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम.................................

सम्बन्धित कर्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती..पदनाम..को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ( ) /नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/ 2024/ सा-3-243/ दस-2024/ 301(1)/ 2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/ रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/ नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्रेषित होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/ 05/ 2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/ संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/ शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/ नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/ अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

4/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-सा-3-243(1)/ दस-2024/ 301(1)/ 2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।